डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर-सी.जी.

पंजीयन क्रमांक रायपुर डिवीजन

सत्यमेव जयते

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 163] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 2 अगस्त 2001—श्रावण 11, शक 1923

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 21 सन् 2001)

छत्तीसगढ़ वाणिज्यिककर (संशोधन) विधेयक, 2001

विषय-सूची

खण्ड :

छत्तीसगढ़ विधेयक
(क्रमांक 21 सन् 2001)

छत्तीसगढ़ वाणिज्यिककर (संशोधन) विधेयक, 2001

छत्तीसगढ़ वाणिज्यिककर अधिनियम, 1994 को और संशोधित करने हेतु विधेयक

भारत गणराज्य के बावनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम. 1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ वाणिज्यिककर (संशोधन) अधिनियम, 2001 है.

सीमा. 2. इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर है.

प्रारंभ. 3. यह शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील होगा.

धारा 2 का संशोधन. 4. छत्तीसगढ़ वाणिज्यिककर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5, सन् 1995), (जिसे इसके पश्चात् प्रमुख अधिनियम कहा गया है), की धारा 2 की उप-धारा (छ) में शब्द ''मिष्ठान'' के पश्चात् शब्द ''नमकीन'' जोड़ा जायेगा.

धारा 5 का संशोधन. 5. प्रमुख अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (5) के खण्ड (ग), (घ) एवं (ङ) में शब्द ''एक'' के स्थान पर शब्द ''दो'' जोड़ा जायेगा.

धारा 9-ए का संशोधन. 6. प्रमुख अधिनियम की धारा 9-ए में शब्द ''चार'' के स्थान पर शब्द ''पांच'' प्रतिस्थापित किया जायेगा.

धारा 27 का संशोधन. 7. धारा 27 की उप-धारा (5) के खण्ड (घ) में शब्द ''बुद्धि से'' के पश्चात् निम्नांकित शब्द जोड़े जायेंगे.

''उचित आधारों पर आधारित जो लिपिबद्ध किये जाऐंगे''

धारा 35-ख एवं ग का समावेश. 8. प्रमुख अधिनियम की धारा 35-क के पश्चात् निम्नांकित धारायें जोड़ी जावेंगी :

धारा 35-ख : स्रोत पर कटौती का दायित्व आने वाले व्यक्तियों का पंजीयन :

(1) प्रत्येक व्यक्ति, जो धारा 34 एवं 35 के अंतर्गत स्रोत पर कटौती हेतु करदायी है निर्धारित रीति एवं प्रारूप में आयुक्त से पंजीयन प्रमाणपत्र प्राप्त करेगा.

(2) प्रत्येक व्यक्ति उप-धारा (1)के अंतर्गत, कर दायित्व आने के पश्चात,30 दिवस के अंदर निर्धारित प्रारूप में आयुक्त के समक्ष पंजीयन प्रमाणपत्र हेतु आवेदन प्रस्तुत करेगा. आयुक्त, जो जांच उचित एवं आवश्यक समझते हैं, कराने के पश्चात्, आवेदन सही पाये जाने पर, आवेदन प्राप्ति के 30 दिवस के अंदर पंजीयन प्रमाणपत्र जारी करेंगे.

(3) यदि कोई व्यक्ति कर दायित्व होते हुये भी, उप-धारा (2) के अंतर्गत पंजीयन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं करता, ऐसी परिस्थिति में, आयुक्त उस व्यक्ति को सुनवाई का पर्याप्त अवसर देने के पश्चात्, एक सौ रुपये की शास्ति प्रत्येक दिवस के विलम्ब हेतु आरोपित करेगा, जो पांच हजार रुपये से अधिक नहीं होगी.

(4) यदि कोई व्यक्ति पंजीयन हेतु कर दायी होते हुये अपने आवेदन में गलत जानकारी, इस धारा के अंतर्गत प्रस्तुत करता है तो ऐसी स्थिति में आयुक्त, उस व्यक्ति को सुनवाई का पर्याप्त अवसर देने के पश्चात्, शास्ति अरोपित करेगा, जो पांच सौ रुपये से अधिक नहीं होगी.

धारा 35-ग : स्रोत पर कटौती का दायित्व आने पर विवरणियां प्रस्तुत करना :

(1) प्रत्येक व्यक्ति, जो धारा 35-ख के अंदर पंजीयत है, ऐसे अधिकारी को, ऐसे प्रारूप में, ऐसी कालावधि के लिये, ऐसी तारीख तक, जैसा कि निहित किया जाये, विवरणियां देगा.

(2) इस प्रकार प्रस्तुत प्रत्येक विवरणी देय कर के पूर्ण राशि के भुगतान के प्रामण में कोषालय के चालान के साथ प्रस्तुत की जायेगी. चालान के अभाव में विवरणी प्रस्तुत की हुई नहीं मानी जावेगी.

(3) यदि कोई व्यक्ति, बिना किसी उचित कारण के निर्धारित तिथि तक विवरणियां प्रस्तुत नहीं करता, तो आयुक्त, ऐसी परिस्थिति में उस व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर देते हुये, शास्ति आरोपित करेगा, जो प्रत्येक दिवस के विलम्ब हेतु एक सौ रुपये से अधिक नहीं होगी.

(4) राज्य शासन ऐसी परिस्थितियों में, जो विनिर्दिष्ट की जायेंगी, किसी व्यक्ति अथवा वर्ग के व्यक्तियों को विवरणियां प्रस्तुत करने से मुक्त कर सकता है.

9. प्रमुख अधिनियम की धारा 47 की उप-धारा (1) के पश्चात् निम्नांकित परन्तुक जोड़ा जायेगा : **धारा 47 का संशोधन.**

"परन्तु कोई व्यापारी प्रकरण हस्तांतरण का आवेदन प्रस्तुत करता है तो ऐसे आवेदन पर निर्णय के आधार लिपिबद्ध किए जायेंगे"

10. प्रमुख अधिनियम की धारा 61 की उप-धारा (6) के पश्चात् निम्नांकित परन्तुक जोड़ा जायेगा : **धारा 61 का संशोधन**

"परन्तु उपधारा (1) के अंतर्गत अपील में आदेश अपील प्रस्तुत करने के एक कैलेण्डर वर्ष के अंदर पारित किया जायेगा."

11. प्रमुख अधिनियम की धारा 62 की उप-धारा (1) में वर्तमान परन्तुक के बाद निम्नांकित परन्तुक जोड़ा जायेगा: **धारा 62 का संशोधन.**

"परन्तु यह भी कि इस उप-धारा के अंतर्गत पुनरीक्षण आदेश आवेदन प्राप्ति के एक कैलेण्डर वर्ष के अंदर पारित किया जायेगा."

12. प्रमुख अधिनियम की धारा 71 की उप-धारा (1) में शब्द "भूल या लोप" के पूर्व शब्द "अभिलेख को देखने से स्पष्ट" जोड़ा जायेगा. **धारा 71 का संशोधन.**

13. प्रमुख अधिनियम की धारा 80 की उप-धारा (2), खण्ड (ड) के उप-खण्ड (आठ-क) के पश्चात् निम्नांकित उप-खण्ड जोड़े जायेंगे. **धारा 80 का संशोधन.**

(आठ-ख) धारा 35-ख की उप-धारा (1) में किस रीति एवं प्रारूप में पंजीयन प्रमाणपत्र प्राप्त किया जायेगा.

(आठ-ग) धारा 35-ग की उप-धारा (1) में किस रीति, प्रारूप, दिनांक तक किस अधिकारी के समक्ष विवरणियां प्रस्तुत की जायेंगी.

14. प्रमुख अधिनियम की अनुसूची एक की प्रविष्टि 5 में— **अनुसूची एक का संशोधन.**

(एक) कालम (2) में वर्तमान प्रविष्टि के पूर्व "(1)" जोड़ा जायेगा.

(दो) कालम (2) में वर्तमान प्रविष्टि के पश्चात् निम्नांकित प्रविष्टि जोड़ी जायेगी.

"(2) सावां, कोदों कुटकी, ककन, बेझरी, रामधन, घटका, कोसरा, मोदिया, जिलों, कोदिया, साबी, भेंडी, राला, मजुरा, कोदरा कोदरी एवं बाबदी ."

अनुसूची 2 का संशोधन.

15. प्रमुख अधिनियम की अनुसूची दो में—

(1) भाग 3 की प्रविष्टि क्रमांक 16 एवं 41 में कालम (3) में संख्या "12" की जगह "15" प्रतिस्थापित किया जायेगा.

(2) भाग 3 की प्रविष्टि क्रमांक 31 में शब्दों "जैसे कि जेटमेट, गुड नाईट मैट इत्यादि" विलुप्त किया जायेगा.

(3) भाग 3 की प्रविष्टि क्रमांक 31 में कालम (3) में संख्या "12" की जगह "5" प्रतिस्थापित किया जायेगा.

(4) भाग 3 की प्रविष्टि क्रमांक 33 में कालम (3) में संख्या "12" की जगह "20" प्रतिस्थापित किया जायेगा.

(5) भाग 3 की प्रविष्टि क्रमांक 37 में कालम (3) में संख्या "12" की जगह "15" प्रतिस्थापित किया जायेगा.

(6) भाग 3 की प्रविष्टि क्रमांक 45 "विलुप्त की" जायेगी.

(7) भाग 3 की प्रविष्टि क्रमांक 54 में शब्द "वी.सी.पी." के पश्चात् शब्द "वी.सी.डी." जोड़ा जायेगा.

(8) भाग 5 की प्रविष्टि क्रमांक 27 को विलुप्त किया जायेगा.

(9) भाग 5 की प्रविष्टि क्रमांक 54 में शब्द "भुने चने (पार्च्ड ग्राम)" के पश्चात् शब्द "भुने मटर (पार्च्ड पीज)" जोड़े जायेंगे.

उद्देश्यों एवं कारणों का कथन

1. वित्तीय वर्ष 2001-2002 के बजट में सूखे मेवे, रेफरीजरेटर, पान मसाला, कास्मेटिक्स, कार्पेट तथा मास्क्रिटो रिपेलेंट (मच्छर भगाने वाले) पर कर की दर बदली गई है. अतएव छत्तीसगढ़ वाणिज्यिककर अधिनियम 1994 की अनुसूची में संशोधन की आवश्यकता है. लीजिंग पर भी कर की दर 4 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत की गई है. इसके लिए भी अधिनियम में संशोधन किया जाना आवश्यक है. यह सुनिश्चित करने के लिए कि आदेश ठोस कारणों पर आधारित हों न कि मनमानी पर अधिनियम की धारा 27-(5) (डी) में संशोधन करना आवश्यक है. धारा-71 (1) में अभिलेख से स्पष्ट भूल सुधार के प्रावधान किये जाने है. वाणिज्यिक कर के दायी व्यापारी के न्यूनतम टर्न ओवर को रुपये एक लाख से बढ़ाकर दो लाख की गई है.

2. राज्य शासन द्वारा गठित राजस्व एवं कराधान समिति की अनुशंसा पर शासन के निर्णय के अनुसार पके अन्न (कुक्ड फूड) की परिभाषा में नमकीन शामिल किया जाना है. स्रोत पर कर की कटौती करने वाले व्यक्तियों के द्वारा पंजीयन प्राप्त करने तथा विवरणी देने का प्रावधान किया जाना है. प्रकरणों के हस्तांतरण हेतु व्यवसाइयों द्वारा प्रस्तुत आवेदनों को गुण-दोष के आधार पर निराकरण करने हेतु अपील एवं निगरानी प्रकरणों में एक कलेन्डर वर्ष के भीतर आदेश पारित करने हेतु किया जाना है. अभिलेख से स्पष्ट त्रुटियों के लिए भूल सुधार करने हेतु मावा, कोदो, कुटकी आदि को करमुक्त करने हेतु मॉस्क्रिटो रिपेलेंट की प्रविष्टि में से "जेट मेट आदि" शब्द को हटाने हेतु सभी तरह के मच्छर भगाने वाले मालों को इसमें शामिल करने हेतु अनुसूची से "स्पार्क प्लग" की प्रविष्टि हटाने हेतु, वी.सी.डी. को वी.सी.पी. की प्रविष्टि के साथ रखने हेतु "भुने मटर" को "भुने चने" के साथ रखने हेतु भी प्रावधान किये जाने आवश्यक है.

3. चूंकि विधान सभा सत्र चालू नहीं था एवं उपरोक्तानुसार संशोधन आवश्यक थे. अतएव महामहिम राज्यपाल द्वारा छत्तीसगढ़ वाणिज्यिककर (संशोधन) अध्यादेश, 2001 (क्रमांक 8 सन् 2001) प्रख्यापित किया गया था. जिसे अब अधिनियम बनाने के लिए लाया जा रहा है.

4. अतएव, विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर :
तारीख : 24 जुलाई, 2001

रामचन्द्र सिंह देव
भारसाधक सदस्य.

उपाबंध

छत्तीसगढ़ वाणिज्यिककर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995)

धारा 2 की उप-धारा (छ)

(छ) "पके अन्न (कुक्ड फूड)" में मिठाईयां और मिष्ठान, मिश्री, बताशा, चिरोंजी, श्री खण्ड, रबड़ी, दूधपाक, पीने के लिए तैयार चाय और कॉफी सम्मिलित हैं किन्तु उसमें आइसक्रीम, कुल्फी, आइस कैंडी, अमद्यसारिक (नॉन एल्कोहलिक) पेय जो आइसक्रीम से युक्त हों, केक्स, पेस्ट्रीज, बिस्किट्स, चाकलेट्स, टॉफीज, चूसिकाएं (लॉजेज), पिपरमेंट की गोलियां और मावा सम्मिलित नहीं है.

धारा 5 की उप-धारा (5) के खण्ड (ग), (घ) एवं (ङ)

(ग) किसी ऐसे व्यापारी के संबंध में, जो सहकारी सोसायटियों से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत की गई कोई सहकारी

सोसायटी है और जो केवल ऐसे माल का व्यापार करता है, जो भाड़े पर रखे गए श्रमिकों की सहायता के बिना उस सोसायटी या उसके सदस्यों द्वारा उत्पादित या विनिर्मित किया गया है-एक लाख रुपये.

(घ) किसी ऐसे व्यापारी के संबंध में, जो कोई संकर्म संविदा करता है, और उसके निष्पादन में माल का (चाहे माल के रूप में या किसी अन्य रूप में) प्रदाय करता है-एक लाख रुपये.

(ङ) किसी ऐसे व्यापारी के संबंध में, जो खण्ड (क), (ख), (ग) या (घ) के अधीन नहीं आता है-एक लाख रुपये.

धारा 9-क

9-क उपभोग करने के अधिकार पर कर :— प्रत्येक ऐसा व्यापारी जो अपने कारोबार के अनुक्रम में किसी अन्य व्यक्ति को नगदी आस्थगित भुगतान या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के बदले किसी ऐसे माल का जैसा कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे उपयोग किसी भी प्रयोजन के लिए करने का अधिकार का अन्तरण (चाहे वह विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए है या नहीं है) करता है, धारा 2 के खण्ड (ब) के उपबंधों के अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसे अन्तरण पर उसके द्वारा वर्ष के दौरान नगद भुगतान के रूप में या अन्यथा वसूल की गई या वसूल की जाने योग रकम पर कर का भुगतान ऐसी रकम के योग पर 4 प्रतिशत की दर से करेगा.

धारा 27 की उपधारा (5) का खण्ड (घ)

(घ) कोई लेखे नहीं रखे हैं, या उसके द्वारा रखे गए लेखे धारा 42 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार नहीं है या ऐसा लेख रखने की किसी एक पद्धति को नियमित रूप से काम में नहीं लाया है, या यदि काम में लाई पद्धति ऐसी है कि आयुक्त की राय में, उसके आधार पर कर निर्धारण उचित रूप से नहीं हो सकता है.

तो आयुक्त अपनी सर्वोत्तम विवेक बुद्धि से व्यापारी पर विहित रीति में कर निर्धारण करेगा.

धारा 47 की उपधारा (1)

(1) आयुक्त, इस अधिनियम के किसी भी उपबंध के अधीन किसी भी कार्यवाही या कार्यवाहियों के किसी भी वर्ग को स्वयं के पास से किसी ऐसे व्यक्ति को अंतरित कर सकेगा जो कि उसकी सहायता के लिए धारा 3 के अधीन नियुक्त किया गया है और वह इसी प्रकार किसी भी ऐसी कार्यवाही को (जिसमें इस उप-धारा के अधीन पूर्व में अंतरित की गई कार्यवाही सम्मिलित है) किसी ऐसे व्यक्ति से जो कि उसकी सहायता के लिए धारा 3 के अधीन नियुक्त किया गया है, किसी अन्य ऐसे व्यक्ति को या स्वयं को अंतरित कर सकेगा.

धारा 61 की उप-धारा (6)

6 अपीलीय प्राधिकारी, ऐसी प्रक्रिया के अध्यधीन रहते हुए जो कि विहित की जाए और ऐसी और जांच करने के पश्चात् जैसी कि वह उचित समझे, उप-धारा (1) या (2) के अधीन किसी अपील का निपटारा करते समय—

(क) कर-निर्धारण या शास्ति या दोनों की पुष्टि कर सकेगा, उसे कम कर सकेगा, उसमें वृद्धि कर सकेगा या उसे बातिल कर सकेगा; या

(ख) कर निर्धारण या शास्ति का अधिरोपण या दोनों को, अपास्त कर सकेगा और उस अधिकारी को जिसके कर निर्धारण या शास्ति आदेश के विरुद्ध अपील की गई है, यह निदेश दे सकेगा कि वह ऐसी और जांच करने के पश्चात् जैसा कि निदेश दिया जाए, नवीन रूप से कर निर्धारण करे या शास्ति पुन: अधिरोपित करे या.

(ग) ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जैसा कि वह उचित समझे.

धारा 62 की उप-धारा (1)

(1) आयुक्त

(क) स्वप्रेरणा से किसी ऐसी कार्यवाही का जिसमें कि कोई आदेश पारित किया गया था, अभिलेख मंगा सकेगा; या

(ख) आदेश की तारीख से उस कालावधि के भीतर, जो कि विहित की गई हो, किसी व्यापारी या किसी व्यक्ति द्वारा किए गए आवेदन पर किसी ऐसी कार्यवाही का, जिसमें कि कोई आदेश पारित किया गया था, अभिलेख मंगाएगा

और उस अभिलेख के प्राप्त होने पर ऐसी जांच कर सकेगा या ऐसी जाचं करवा सकेगा जैसी कि वह आवश्यक समझे और इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, उस पर ऐसा आदेश, जैसा कि वह उचित समझे, जोकि उस व्यापारी या व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव न डालता हो, पारित कर सकेगा :

परन्तु

आयुक्त इस उप-धारा के अधीन किसी आदेश का पुनरीक्षण तब नहीं करेगा—

(क) जबकि उस आदेश के विरुद्ध अपील धारा 61 की उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट किए गए किसी प्राधिकारी के समक्ष लंबित है या यदि ऐसी अपील की जा सकती है तो उस समय का जिसके कि भीतर वह फाइल की जा सकती है, अवसान नहीं हुआ है; या

(ख) जबकि उस आदेश के विरुद्ध द्वितीय अपील फाइल कर दी गई है;

परन्तु यह और भी कि—

(क) कर का भुगतान करने के संबंध में किसी व्यापारी का दायित्व अवधारित करने वाले किसी आदेश के विरुद्ध कोई पुनरीक्षण नहीं होगा या निर्धारण के लिए इस अधिनियम के अधीन जारी की गई किसी सूचना के विरुद्ध कोई पुनरीक्षण, निर्धारण आदेश पारित किए जाने के पश्चात् ही होगा, अन्यथा नहीं ; और

(ख) धारा 72 के अधीन पारित किए गए किसी आदेश के विरुद्ध कोई पुनरीक्षण नहीं होगा.

स्पष्टीकरण—आयुक्त के किसी आदेश, जिसके द्वारा हस्तक्षेप करने से इन्कार किया गया है, के संबंध में यह नहीं समझा जायेगा कि यह किसी व्यापारी या किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला आदेश है.

धारा 71 की उप-धारा (1)

(1) आयुक्त—

(एक) अपने द्वारा पारित किए गए किसी आदेश की तारीख से एक केलैण्डर वर्ष के भीतर किसी भी समय, स्वप्रेरणा से, या :

(दो) व्यापारी द्वारा आवेदन किया जाने पर, ऐसे आवेदन के प्राप्त होने की तारीख से एक केलेण्डर वर्ष के भीतर किसी लेखन अथवा गणित संबंधी भूल या किसी आकस्मिक चूक के उद्जनित भूल या लोप का परिशोधित करते हुए आदेश पारित कर सकेगा.

धारा 80 की उप-धारा (2) खण्ड (ङ) का उप-खण्ड (आठ-क)

(आठ-क) वह रीति तथा प्ररूप जिसमें तथा वह प्राधिकारी जिसके द्वारा धारा 35-क के अधीन प्रामणपत्र जारी किया जाएगा;

अनुसूची-एक की प्रविष्टि 5

अनुसूची-दो
(धारा 15 देखिये)
कर मुक्त माल

अनु. क्रमांक (1)	माल का वर्णन (2)	शर्त तथा अपवाद जिनके अध्यधीन रहते हुए छूट दी गई है (3)
5.	बेसन और दाल की चूनी, आटा, मैदा, सूजी, रवा, दलिया, पिसान (फ्लोर), भूसी (हस्क) और धान्य तथा दाल का छिलका	

अनुसूची दो के भाग 3 की प्रविष्टि क्रमांक 16, 31, 33, 37, 41, 45 तथा 54

अनुसूची-दो
[(धारा 9 (1) देखिये)]

अनु. (1)	माल का विवरण (2)	कर की दर (%) (3)
	भाग-तीन	
16	कारपेट जिसमें कालीन और गलीचे सम्मिलित हों	12
31	मच्छर तथा कीट प्रतिकारक (रिपेलेंट) जैसे जेटमेट, गुडनाइट मेट आदि	12
33	पान मसाला	12
37	प्रशीतक (रेफरीजरेटर्स), अतिहिमीकरण यंत्र (डीफ्रीजर्स) वातानुकूलन संयंत्र (एयर कंडीशनिंग प्लांट) जिसमें वातानुकूलन एयर कंडीशनर्स (यांत्रिक, जल शीतक), मेकेनिकल वाटर कूलर्स, वात शीतक (एयर कूलर्स) और उसके संघटक (पुर्जे) तथा उपसाधन सम्मिलित है.	12
41	सेंट्स, गंध द्रव (परफ़्यूम्स), बालों की टॉनिक, बालों में लगाने की क्रीम, केश क्षाल (हेयर शेम्पू), लोभनाशक (डेपीलेटरीज), फेसक्रीम, स्नो, लिपिस्टिक, रूज, नेल पालिश और अन्य कांतिद्रव्य (कास्मेटिक्स) जिसमें उनकी औषधीय निर्मितियां सम्मिलित है.	12
45.	स्पार्क प्लग्स	12
54	बेतार से समाचार प्राप्त करने के उपकरण तथा यंत्रादि रेडियो तथा रेडियो ग्रामोफोन, टेलीविजन, वी.सी.आर, वी.सी.पी., संचायक (एक्यूमुलेटर्स), विद्युत वाल्वस, ध्वनि विस्तार (एम्लीफायर्स) तथा ध्वनि यंत्र (लाउड स्पीकर्स) तथा उनके पुर्जे (पार्ट्स) तथा उपसाधन.	12

अनुसूची दो के भाग 5 की प्रविष्टि क्रमांक 27 एवं 54

	भाग-पांच	
27	सूखे मेवे (ड्राई फ्रूट)	4
54	भुने चने (पार्चड ग्राम), मुरमुरा, पोहा तथा लाई	4

भगवानदेव ईसरानी
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2001.